न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/00040)

उच्छबकंवर उर्फ आचूकंवर पुत्र स्व. सूरजदान जाति चारण निवासी मंगलवासी, पत्नी गंगादान हाल निवासी छापर, तहसील सुजानगढ, जिला चूरू, राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत जीली, जरिये सरपच, तहसील सुजानगढ जिला चूरू, राजस्थान।
2. मंगेजकंवर पुत्री सूरजदान जाति चारण निवासी मंगलवासी, तहसील सुजानगढ, जिला चूरू, राजस्थान।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री नरेन्द्र गौड़ — अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय **दिनांकः 28.06.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय दिनांक 15.05.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत झीली तहसील सुजानगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण सं. 65 दिनांक 11.08.1961 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने तथा सूरजदान की दोनो पुत्रियो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.05.2018 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर नामान्तकरण सं. 65 को निरस्त कर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 एव 2 को पहले साधारण सम्मन तथा बाद में रजिस्ट्र्ड नोटिस से सूचित किये

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि ग्राम पंचायत झीली द्वारा अपीलान्ट की पैतृक कृषि भूमि का इंतकाल सं. 65 दिनांक 11.08.1961 एक तरफा तौर पर स्वीकृत कर गैर कानूनी तरीके से अपीलान्ट की माता के नाम दर्ज कर दी। गत खसरा नं. 20, 23, 34 आदि की कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता सूरजदान पुत्र श्रीदान के नाम खातेदारी दर्ज थी। हल्का पटवारी ने दिनांक 14.7.1961 को अपीलान्ट के पिता को लापता दिखा कर अपीलान्ट की माता के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया। जबकि अपीलान्ट के पिता ना तो लापता हुए थे और ना ही उस समय फौत हुऐ थे, सन् 1961 मे अपीलान्ट के पिता मौजूद थे, कुछ दिनो के लिए मजदूरी हेतु गांव से बाहर गये हुए थे। पीछे से हल्का पटवारी ने ग्राम पंचायत के सरपंच व अन्य लोगो से षड़यन्त्र रचकर नियम विरूद्व तरीके से बिना कोई वारिसान की जांच किये व मृत्यु आदि की जांच किये बिना मनमर्जी से यह लिख दिया कि खातेदार सूरजदान 15 साल से लापता है। अपीलान्ट के पिता की जगह अपीलान्ट की माता सुगनकंवर का नाम अंकित कर दिया तथा इन्तकाल में कुछ अन्य लोगो के नाम भी लिख दिये, जिसका हल्का पटवारी को कोई अधिकार नही था। नामान्तरण सं. 65 दर्ज करते समय हल्का पटवारी के पास ना तो हमारी मां ने कोई आवेदन किया था ना ही अन्य किसी व्यक्ति ने किया था। ग्राम पंचायत को सिर्फ विक्रय, दान व विरासत के अविवादित प्रकरण में नामान्तकरण तस्दीक करने के अधिकार है, राजस्थान भू– राजस्व नियम 1957 के नियम 138 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का ना तो ग्राम पंचायत को अधिकार था ना ही हल्का पटवारी ने पूर्ण प्रक्रिया का पालन किया। प्रकरण में किसी भी रिश्तेदार, परिवाजनो से पूछताछ नही की गई ना कोई किसी प्रकार की सार्वजनिक सूचना निकाली गयी। अपीलान्ट की माता सुगनकंवर का देंहान्त दिनांक 20.10.2011 को अपने पीहर रूपलीसर मे होने के बाद अपीलान्ट हल्का पटवारी से मिली और अपने पिता की जमीन बाबत जानकारी मांगी तब हल्का

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पटवारी ने बताया कि आपके नाम से कोई जमीन नही है। उसके बाद अपीलान्ट ने बिना कोई समय व्यतीत किये जानकारी से प्रथम अदालत में अपील पेश कर दी। और दिनांक 15.05.2018 को अदालत मातहत ने अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। न्याय आपके द्वार कैम्पो मे सिर्फ राजीनामा के आधार पर प्रकरण निस्तारित करने का राज्य सरकार द्वारा समस्त राजस्व न्यायालयो को अधिकार दिये थे तथा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। लेकिन अदालत मातहत ने समस्त कानून नियम कायदो को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से सिर्फ चार लाईनो मे अपील को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.05.2018 एवं नामान्तकरण सं. 65 दिनांक 11.08.1961 निरस्त किया जाकर सूरजदान पुत्र श्रीदान की दोनो पुत्रियो अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट सं. 2 के नाम विरासतन इंतकाल दर्ज किया जाने का आदेश फरमावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के न्यायालय में नामान्तकरण सं. 65 दिनांक 11.08.1961 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त नामान्तकरण को निरस्त करने का निवेदन किया। नामान्तरण सं. 65 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 के स्थान पर एक मात्र जायज वारिस सुगनाकंवर को मानते हुए नामान्तकरण दर्ज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार सुगना कंवर का देहान्त दिनांक 20.10.2011 को हो चुका है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 सुगना कंवर की मृत्यु के पश्चात वारिस नामान्तकरण सीधे ही दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ पारित निर्णय दिनांक 15.05.2018 को अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार सुजानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता हे कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनकर,

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सूरजदान के वारिसानो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

6. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर